

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 699/2016/बीकानेर.

मैसर्स जयश्री ट्रेडिंग कम्पनी, 179, न्यू अनाज मण्डी, बीकानेर.अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, बीकानेर.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री ओ. पी. दोसाया, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा, उप-राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 279/आरवेट/बीकानेर/2014-15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 30.11.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, बीकानेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारी की आलांच्य अवधि वर्ष 2011-12 के लिये वैट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.02.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर वैट नियम 19ए के तहत आरोपित विलम्ब शुल्क रूपये 50,000/- की पुष्टि की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्ष 2011-12 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश में विवरण प्रपत्र की हार्डकॉपी 46 दिन विलम्ब से पेश होने के आधार पर नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क रूपये 50,000/- आरोपित किया गया था, जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा भी पुष्टि की गयी है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा विवरण-प्रपत्र समयावधि में ऑनलाईन पेश कर दिये गये थे एवं केवल तृतीय तिमाही के रिटर्न की हार्डकॉपी 173 दिन देरी से प्रस्तुत की गयी, परन्तु विवरण-प्रपत्र विभाग में समय पर प्रस्तुत कर दिये थे, अतः विलम्ब शुल्क का आरोपण अविधिक है। इसके अलावा यह भी कथन किया कि दिनांक 28.02.2014 को नियम 19ए के अनुसार विलम्ब शुल्क प्रति दिन रूपये 100/- अथवा अधिकतम रूपये 25,000/- ही आरोपणीय था, जबकि कर निर्धारण

लगातार.....2

अधिकारी द्वारा रूपये 50,000/- विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने विलम्ब शुल्क का आरोपण विधिक बताया परन्तु इस बिन्दु पर सहमति दी कि दिनांक 01.04.2013 से 14.07.2014 के बीच नियम 19ए के प्रावधान में रूपये 100/- प्रतिदिन एवं अधिकतम रूपये 25,000/- का विलम्ब शुल्क ही आरोपणीय था।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रथमतया अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह तर्क कि हार्डकॉपी विलम्ब से प्रस्तुत करने पर विलम्ब शुल्क देय नहीं है, क्योंकि ऑनलाईन रिटर्न समय पर पेश कर दिये थे, स्वीकार योग्य नहीं है। कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2109/2014/बाड़मेर में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2017 एवं इस बिन्दु पर विधिक अभिनिर्धारण के लिये गठित वृहदपीठ का अपील संख्या 1069/2015/टोंक व अन्य अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2018 में यह निर्णय किया जा चुका है कि ऐसे मामलों में विलम्ब शुल्क देय होगा।

7. अपीलार्थी का दूसरा बिन्दु उचित है कि हार्डकॉपी प्रस्तुत करने के दिवस अर्थात् दिनांक 13.10.2013 को नियम 19(ए)1(i) के तहत विलम्ब शुल्क (01.04.2013 से 14.07.2014 के बीच) रूपये 100/- प्रतिदिन अथवा रूपये 25,000/- अधिकतम की सीमा तक देय था। अतः उक्त प्रकरण में 173 दिवस की देरी के लिये रूपये 17,300/- का विलम्ब शुल्क देय होने से इस सीमा तक आरोपित विलम्ब शुल्क की पुष्टि की जाती है एवं अवशेष राशि अपास्त की जाती है। यदि राशि जमा कराई जा चुकी है तो उसका रिफण्ड जारी किया जावे।

8. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।



(के. एल. जैन)
सदस्य